लि० की सहायक कंपनियों में हुए कोयले के उत्पादन संबंधी आंकड़े नीचे दर्शाए गए हैं:—

(मिलियन टन में)

1993-94	1994-95	1995-96
216.10	223.07	237.28

पिछले तीन वर्षों के दौरान कोल इंडिया लि० की सहायक कंपनियों की खानों से उत्पादित कोयले की समय-समय पर यथा संशोधित औसत पिटहैड कीमत संबंधी ब्यौरे नीचे दर्शाए गए हैं:—

संशोधन की तारीख	रु० प्रति टन
19.6.1993	381.00
17.6.1994	401.00
20.10.1996	498.54

(ख) से (ङ) इस संबंध में सूचना एकत्रित की जा रही है और इसे सभा पटल पर रख दिया जाएगा।

कोयला खनन कार्यों के कारण वायु और जल का प्रदूषित होना

2269. **श्री जगन्नाथ सिंह:** क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि गत 25 वर्षों के दौरान मध्य प्रदेश के जिला सीधी में सिंगरौली में एन०सी०एल० परियोजना पर कोयला-खनन कार्य किए जाने के कारण प्रदूषित होने वाले वायु और जल से सैकड़ों गांव एवं लाखों व्यक्ति प्रभावित हुए हैं और एन०सी०एल० प्रदूषण और लोगों में फैलती बीमारियों के नियंत्रण हेतु कोई कार्यवाही नहीं कर रहा है; और

(ख) इस संबंध में सरकार के पास उपलब्ध जानकारी का ब्यौरा क्या है?

कोयला मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती कान्ति सिंह): (क) और (ख) जी, नहीं। वायु, जल तथा ध्वनि के स्तर के गुणवत्ता संबंधी मापदंडों को सांविधिक में निर्दिष्ट स्वीकार्य सीमा के अंतर्गत बनाए रखा जाता है। वायु, जल तथा ध्वनि प्रदूषण को स्वीकार्य सीमाओं तक बनाए रखने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए जा रहे हैं:—

1. वायु-वहित धूल को दबाने के लिए हाल-मार्गों, अन्य मार्गों, क्रेशर के स्थानान्तरण तथा लदान स्थलों पर जल का छिड़काव किया जाना।

2. वायु तथा ध्वनि प्रदूषण को रोकने के लिए कालोनी तथा औद्योगिक क्षेत्र में हरित-पट्टी की व्यवस्था की जाती है।

3. जल मार्गों में पानी छोड़ने से पूर्व जल को निस्सारी संयंत्रों में साफ किया जाता है।

गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले व्यक्तियों को रियायती दर पर कोकिंग कोयला उपलब्ध कराया जाना

2270. **श्री रामजीलाल:** क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कोकिंग कोयले की बाजार दरें निर्धारित की जाती हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार गरीबी की रेखा से नीचे के लोगों को रियायती दर पर कोकिंग कोयला उपलब्ध कराने की व्यवस्था करेगी;

(ग) यदि हां, तो कब तक; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कोयला मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती कान्ति सिंह): (क) कोकिंग कोयले की बाजार कीमतें न तो कोयला उत्पादक कंपनियों और न ही सरकार द्वारा निर्धारित करती हैं। कोकिंग कोयले की केवल पिटहैड बिक्री कीमतों का निर्धारण, कोयला उत्पादक कंपनियों द्वारा किया जाता है। कोकिंग कोयले सहित कोयले की सभी विभिन्न किस्मों की बाजार कीमतों का निर्धारण बाजार शक्तियों द्वारा किया जाता है।

(ख) कोकिंग कोयले की आपूर्ति घरेलू क्षेत्र को नहीं की जाती है। इस कोयले की आपूर्ति औद्योगिक क्षेत्र, अधिकांशतः धातुकर्मीय उद्योगों को की जाती है। अतः सरकार द्वारा गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले लोगों को कोकिंग कोयले के संबंध में आर्थिक सहायता दरों पर आपूर्ति किए जाने की व्यवस्था करने का प्रश्न ही नहीं उठता है।

(ग) और (घ) उपर्युक्त भाग (ख) के उत्तर को दृष्टिगत करते हुए प्रश्न ही नहीं उठता है।